प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 20.06.2024

- **जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी।**
- **लोगों से फोन पर बात करके अश्लील वीडियो बनाने की धमकी देकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले 02 नफर अभियुक्तों को थाना शिवली पुलिस द्वारा किया गया, गिरफ्तार।**
- **थाना शिवली पर पंजीकृत अभियोग में वांछित थे, अभियुक्त। अभियुक्तों के कब्जे से 02 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस तथा 02 अदद एण्ड्रॉयड मोबाइल फोन व 01 अदद की-पैड मोबाइल फोन बरामद किया गया।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस उप महानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, थाना शिवली पर दिनांक 20.06.20224 को वादी श्री अमन गौतम पुत्र श्री राम सिंह निवासी ग्राम निवादा देवराय थाना शिवली जनपद कानपुर देहात द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 185/2024 धारा 420 भा0द0वि0 बनाम अभियुक्तगण 1. परशुराम पुत्र किशन निवासी ग्राम भौसाना का पुरवा थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर 2. हरीकिशन पुत्र हीरालाल निवासी ग्राम रामनगर थाना शिवराजपुर जनपद कानपुर नगर पंजीकृत किया गया। जिसमें थाना पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवीही करते हुये अभियुक्तगण परशुराम व हरीकिशन को मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 20.05.2024 को थाना शिवली पुलिस टीम द्वारा समय 07.30 बजे थाना क्षेत्रान्तर्गत मवैया मोड पर मय एक-एक अदद तमंचा 315 बोर मय 01-01 कारतूस 315 बोर व 02 अदद मोबाइल एन्ड्रॉयड फोन व 01 अदद मोबाइल की-पैड सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा गया।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगण ने पूछने पर बताया कि हम दोनो लोग, दूसरे लोगों के नाम से सिम खरीद कर लोगों को कॉल करके पहले बाते कर फिर उसका अश्लील विडियो वायरल करने की धमकी देकर झांसे में लेकर ठगी करते है। अपने बचाव व सुरक्षा के लिए तमंचा व कारतूस अपने साथ रखते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. परशुराम पुत्र किशन निवासी ग्राम भौसाना का पुरवा थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर।
2. हरीकिशन पुत्र हीरालाल निवासी ग्राम रामनगर थाना शिवराजपुर जनपद कानपुर नगर।

बरामदगी का विवरण-

अभियुक्त परशुराम उपरोक्त से-

1. 01 अदद तंमचा 315 बोर मय 01 अदद कारतूस 315 बोर।
2. 01 अदद एन्ड्रॉयड मोबाइल फोन।
3. 01 अदद की-पैड फोन लावा कम्पनी।

अभियुक्त हरी किशन उपरोक्त से–

1. 01 अदद तंमचा 315 बोर मय 01 अदद कारतूस 315 बोर।
2. 01 अदद एन्ड्रयड मोबाइल फोन।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री राम पटेल चौकी प्रभारी औनहा थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।
2. का0 924 राजदीप थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।
3. का0 1074 अंकित मिश्रा थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।